न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

(1) अपील सं0 2006/00070 (117/2006) 223 आरटीएक्ट

1. हाकम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
2. गुरदयाल सिंह पत्नी श्री इन्द्र सिंह

} जाति तरखान साकिन सैक्टर नं. 12 हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढिल्लो कोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
   1/1 जोगेन्द्र कौर (पत्नी)
   1/2 जसवन्त सिंह (पुत्र)
   1/3 जसवीर सिंह पुत्र (फौत) (कलमजन)
   1/4 कुलवन्त कौर पुत्री
   1/5 निकी पुत्री
2. जगजीत सिंह पुत्र श्री बक्शीश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान नम्बर 2458, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2006 द्वारा उपखण्ड सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्रकरण संख्या 95/2005

श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री गुरप्रीतपाल सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

(2) अपील सं0 (134/2006) 223 आरटीएक्ट

जगजीत सिंह पुत्र श्री बक्शीश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान नम्बर 2458, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढिल्लो कोनी

1/2 जसवन्त सिंह (पुत्र)

1/3 जसवीर सिंह पुत्र (फौत) (कलमजन)

1/4 कुलवन्त कौर पुत्री

1/5 निकी पुत्री

2. हाकम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति तरखान साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

3. गुरदयाल कौर पत्नी इन्द्र सिंह जाति तरखान साकिन चक ज्वालसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2006 द्वारा उपखण्ड सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्रकरण संख्या 95/2005

श्री गुरप्रीतपाल सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः– 17.12.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी गुरचरण सिंह ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश किया। वाद में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादीया सं0 2 के पति के नाम चक 48 एनजीसी पटवार हल्का हनुमानगढ जंक्शन के खाता संख्या 53/53 आदि के संयुक्त खाता में 10.626 है0 कृषि भूमि में 188–1/2 हिस्सा रिकार्ड था। वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादी सं0 2 का देहान्त हो चुका है जिसका वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम 188–1/2 हिस्सा ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 गुरदयाल कौर ने प्रतिवादी संख्या सं0 1 के नाम अपने हिस्से की दस्तबरदारी करवा दी। जबकि प्रतिवादीया सं0 2 का 1/2 हिस्सा 188–1/2 हिस्सा वादी को भी मिलना चाहिए था। प्रति0 सं0 1 ने इसका इन्तकाल भी अपने नाम करवा लिया है और जरिये विक्रय पत्र मई 2005 प्रतिवादी सं0 3 को विक्रय कर दिया। कानूनन परिवार के एक सदस्य द्वारा यदि अपना हक त्याग किया जाता है तो उसके हिस्सा को शेष सभी परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। वादी ने वादपत्र में अंकित अनुसार हिस्से की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

गया था। इसलिए उसका इस आराजी में कोई हक हिस्सा नही है। स्व0 इन्द्रसिंह ने दो शादियां की थी, जिसमें वादी प्रथम पत्नी की शादी की पत्नी भगवान कौर से पैदा हुआ था । इसलिए वह हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए चक 48 एनजीसी में दर्ज 188–1/2 हिस्सा का 1/3 हिस्सा जो वादी के नाम है उसकी घोषणा प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा व प्रतिवादी सं0 2 ने जवाबदावा पेश किया कि उसने प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज हिस्सा 125–1/2 हिस्सा क्रय किया है, जिसका इन्तकाल भी मेरे नाम दर्ज हो चुका है प्रतिवादी सं0 1 बोनाफाइड विक्रेता व प्रतिवादी सं0 2 बोनाफाईड क्रेता है। दस्तबरदारी को चुनोती सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती है। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायायल ने प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज करने हुए वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की हैं।दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने एवं एक ही भूमि होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध अपीलें पेश होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. रेस्पोडेण्ट्स की तरफ से कोई उपस्थित नही लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. हाकम सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड से स्पष्ट है कि रेस्पो0 नं0 1 अपने पिता से अलग हो गया था इसलिए रेस्पो0 नं0 1 अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य न होने के कारण प्रश्नगत आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने जिरह के बयानों में तथा अपने जवाब उल जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलाण्ट सं0 2 रेस्पो0 सं0 1 की माता नहीं है इसलिए रेस्पो0 सं0 1 [illegible] के साथ कोपार्सनर नहीं है। तनकी नं0 1 का निर्णय विचारण न्यायालय ने गलत किया है, क्यों कि अपीलाण्ट सं0 2 रेस्पो0 सं0 1 की माता नहीं है [illegible] रेस्पो0 नं0 1 ने अपने जवाब उल जवाब में व अपनी जिरह के बयानों में स्वीकार किया हैं। रेस्पो0 सं0 1 का अपीलाण्ट सं0 2 के साथ वल्ड रिलेशन नहीं है क्यों कि अपीलाण्ट सं0 2 रेस्पो0 सं0 1 की सौतेली मॉ है इस तथ्य को नजर अंदाज किया है। तनकी नं0 2 यह थी कि '' आया प्रतिवादी सं0 3 खरीद अनुसार 125–1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार मालिक है।'' इस तनकी का फैसला विचारण [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

124–1/2 हिस्सा पर कब्जा है इस प्रकार खरीददार 125–1/2 हिस्सा का खरीददार होने के कारण खातेदार है। तनकी नं 3 का निर्णय भी विचारण न्यायालय ने गलत किया है। जब स्व0 इन्द्रसिंह मालिक था उसके जीवनकाल में ही रेस्पो0 सं0 1 अपना हक लेकर अलग हो गया था इस कारण रेस्पो0 नं0 1 स्वर्गीय इन्द्रसिंह के परिवार का सदस्य नहीं रहा इसलिए अपीलाण्ट सं0 1 वादग्रस्त आराजी में जो 1/3 हिस्सा रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज है की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अपीलाण्ट जगजीत सिंह के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 अपना हक हिस्सा लेकर अलग हो चुका था। इसकारण स्वर्गीय इन्द्रसिंह की आराजी में उसकाक कोई हक नहीं था। अपीलाण्ट ने जब वादग्रस्त आराजी क्रय की थी उस समय रेस्पो0 सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में 188–1/2 हिस्सा का 2/3 हिस्सा कब्जा काश्त था तथा उक्त आराजी 2/3 हिस्सा अपीलाण्ट ने क्रय किया तथा उतने का ही अपीलाण्ट को कब्जा दिया गया तथा अपीलाण्ट के जो बयान हुए उसमें अपीलाण्ट ने अपने जिरह के बयानों में बताया की 125–1/2 हिस्सा उसके नाम था जब उसने बैयनामा करवाया उस समय रेस्पो0 नं0 3 भी सहमत था तथा अपीलाण्ट के कब्जा में कुल मु0 नं0 17 का किला नं0 18 ता 23 तथा 24 का 1/4 हिस्सा पर कब्जा है यह बात रेस्पो0 सं0 1 के वकील ने जिरह में साबित करवाई है। अपीलाण्ट के पक्ष में हुआ बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी बाबत राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 कोपार्सनर नही है। वह इन्द्रसिंह की आराजी में हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

5. दोनों अपीलों के अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थीगण का कथन है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 अपने पिता से अगल हो गया था इसलिए रेस्पो0 रं0 1 अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य न होने के कारण प्रश्नगत आराजी में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्य की तस्दीक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राशन कार्ड की फोटो प्रति से होती है जिसमें रेस्पो0 सं0 1

यह बताया है कि मेरी माता का नाम भगवान कौर था जो पहले वाली थी। मै भगवान कौर के पेट से पैदा हुआ भाई। अपने बयानों में गुरचरण सिंह ने गुरदयाल कौर को उसने अपनी सगी मां नहीं होना बताया हैं। स्वर्गीय इन्द्रसिंह प्रश्नगत आराजी का मालिक था जिसके जीवनकाल में ही रेस्पो0 नं0 1 ने अपना हक लेकर अलग हो गया था इसके कारण रेस्पोडेण्ट स्वर्गीय इन्द्रसिंह के परिवार का सदस्य नहीं रहा वह स्वर्गीय इन्द्रसिंह की आराजी में कोई हकदार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के पक्ष में जो बैयनामा हुआ है वह रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसमें राजस्व न्यायालय को कोई निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा बैयनामा के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्रापत नही कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2006 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभीलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17.12.20

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

(1) अपील सं0 2006/00070 (107/2006) 223 आरटीएक्ट

1. हाकम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
2. गुरदयाल सिंह पत्नी श्री इन्द्र सिंह

} जाति तरखान साकिन सैक्टर नं. 12 हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढिल्लो कोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

   1/1 जोगेन्द्र कौर (पत्नी)

   1/2 जसवन्त सिंह (पुत्र)

   1/3 जसवीर सिंह पुत्र (फौत) (कलमजन)

   1/4 कुलवन्त कौर पुत्री

   1/5 निकी पुत्री

2. जगजीत सिंह पुत्र श्री बक्शीश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान नम्बर 2458, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2006 द्वारा उपखण्ड सहायक कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 95/2005

(2) अपील सं0 (134/2006) 223आरटएक्ट

जगजीत सिंह पुत्र श्री बक्शीश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मकान नम्बर 2458, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढिल्लो कोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

   1/1 जोगेन्द्र कौर (पत्नी)

   1/2 जसवन्त सिंह (पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

1/4 कुलवन्त कौर पुत्री

1/5 निकी पुत्री

2. हाकम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति तरखान साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

3. गुरदयाल कौर पत्नी इन्द्र सिंह जाति तरखान साकिन चक ज्वालसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2006 द्वारा उपखण्ड सहायक कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 95/2005

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री गुरप्रीतपाल सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2006 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.12.2020 को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

17.12.20

(करतार सिंह पूनीयॉ आर. ए. एस.)

राजस्व अपील अधिकारी,

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia

Date: 2021.03.22 13:56:57 IST

Reason: SelfAttested